

27/12/17

राज्य द्वारा एडीपीओ

अभियुक्तगण सावन कुमार एवं छिददा उर्फ अवधेश अनुपस्थित।

प्रकरण अभियुक्तगण की उपर हेतु नियत है।

थाना गोहद से अभियुक्तगण के वारंट प्राप्त।

अभियुक्त सावनकुमार का गिरा वारंट इस आशय के पृष्ठांकन सहित प्राप्त कि दिनांक 20.12.17 को अभियुक्त की मृत्यु हो गयी है, आदेशिका के साथ अभियुक्त का मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में अभिभाषक द्वारा भी अभियुक्त की मृत्यु की सूचना दी गयी थी। ऐसी दशा में अभियुक्त सावन कुमार की मृत्यु हो जाने से उसके विरुद्ध कार्यवाही उपशमित हो जाती है।

प्रकरण अभियुक्त छिददा उर्फ अवधेश का गिरा वारंट फरारी पंचनामा सहित प्राप्त कि अभियुक्त काफी दिनों से घर नहीं आया है। प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु लगभग 6 माह से चल रहा है। प्रकरण 5 वर्ष से अधिक पुराना है जिसका तत्परता से निराकरण किया जाना है। अभियुक्त की आदेशिका के तामीलकर्ता तामीलकुनिदा कथन प्रस्तुति लेख किये जाने पर भी उपर नहीं हुआ है।

चूंकि अभियुक्त नहीं मिला है और उसके निकट भविष्य में मिलने की संभावना दर्शित नहीं है। कई बार आदेशिका भी जारी हो चुकी है। ऐसे में अभियुक्त की उपस्थिति हेतु अनंतकाल तक प्रकरण लंबित नहीं रखा जा सकता। अतः द0प्र0सं0 की धारा 299 के अधीन अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है।


अभियुक्त के मुचलके व जमानत के सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जाये।

अभियुक्त छिददा उर्फ अवधेश पुत्र मुन्नालाल मटेले आयु लगभग 42

C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. of 20

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>जारी किया जाये। साथ ही गिरफ्तारी वारंट की प्रविष्टी वारंट रजिस्टर में कर पावती ली जाये। थाना प्रभारी को ज्ञापन सहित वारंट भेजा जावे कि वारंट की प्रविष्टि रोजनामचा सान्हा पर कर प्रतिवेदन सान्हा की प्रति सहित प्रेषित करें।</p> <p>प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से टीप अंकित की जाये कि अभियुक्त फरार है प्रकरण का अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।</p> <p>प्रकरण अभिलेखागार परिणाम दर्ज कर संचयन हेतु भेजा जाये।</p> <p style="text-align: center;"> (A.K. Gupta) Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)</p>	